

फर्द अहकाम

नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा


संजय कुमार

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :- 136 एल. आर.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 58 / 23

तारीख हुवन	हुवन या कार्यवाही गय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुवन की तारीख जारी हुया
12.06.2023	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावे तहसीलदार भादरा को जांव रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 04.07.2023 को पेश हो	
	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो	
25/7/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो।	
01/09/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो।	
26/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। पत्रावली वाले रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 20/10/23 को पेश हो।	
20/10/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो।	
22/01/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो।	
06/3/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक...को पेश हो।	

29/3/24

पत्रावली पेश हुई पीठारीन
अधिकारी... पुनावी शर्मा में प्रस्तुत
दिनांक 6/5/24 को पेश हो।
-330-

06/5/24

पत्रावली पेश हुई वकील उर्मी अर्पित
रक्षीतगर रिपोर्ट प्राप्त जो नाथिक पत्रावली
की गई पत्रावली वास्तु वदस विनांक
2/6/24 में पेश हो।
[Signature] 06/05/24

2/6/24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा अर्पित
पत्रावली वास्तु वदस विनांक 24/3/24
को पेश हो।
[Signature] 02/06/24

24/3/24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा अर्पित पत्रावली
में अविवाहा शर्मा की वदस मुनी गई
दोनों वदस अविवाहा ने इन डिप्लोमा
उम्ह विवाहि शर्मा में शर्मा का नाम
पंजीव पुत्र परजीह सिंह राज हे पंजी
शर्मा का मदी व वास्तविक नाम पंजी
कुमार पुत्र परजीह सिंह नाम हो अहः
राजान रिपोर्ट में शर्मा का मदी नाम
राज डिप्लोमा जाने व निवेदन डिप्लोमा

वदस अविवाहा शर्मा मुनी जाय व
पत्रावली में पत्रावली पत्रावली इन रक्षीतगर
माध्यम की रिपोर्ट व अवलोकन डिप्लोमा
अधिकार रक्षीतगर माध्यम रिपोर्ट द्वारा 24/3/24
दिनांक 21/2/24 से अनुमति शर्मा का उम्ह नाम

संजीव पुत्र सखीर सिंह जयि नामाहरण
3410 दिनांक 6-1-21 मायाम वारीर नामा
हरण होने का प्रमाण गण्य है। अतः उक्त नाम
का अंकन राजाव रिजर्ज में राजावर भूरापत्र
अधिनियम 1356 के धारा 136 LRA के
अधीन किसी भी प्रकार से विपरीत शक
होना नहीं नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचाकृत धारण
का शर्षी अनुरोध धारा 136 LRA रवीम
योग्य / माकिर नही होने के कारण
रवारीज रिजर्ज जाया है। हण्य शर्षी के निर्दिष्ट
रिजर्ज जाया है कि वे राजाव रिजर्ज में उपरोक्त
मंसोघन के विरुद्ध राजावर अहकाम
अधिनियम में वारीर धारण के तहत
वाचक धारा 87 गुणावगुण के आधार
पर निर्दिष्ट वारीर ~~रिजर्ज~~ ^{धारा} धारा मुनिधिर में
पत्रावली नम्बर में निर्णय आज
दिनांक 24/1/21 को मेरे द्वारा तिरवाण
जाया एवं हण्य धारा मुनाय गण्य पत्रावली
नम्बर से हण्य की जाकर धारण रजिस्ट्रार है।

[Handwritten signature]